न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ''द०प्र०क्षे०'' मैनपुरी

विशेष परीक्षण सं० 76/2006

राज्य बनाम आशू पाण्डेय आदि

आरोप

मैं चम्पत सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ''द०प्र०क्षे०'' मैनपुरी आप आशू पाण्डेय को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूॅ–

प्रथम– यह कि दिनांक 26–5–2006 को समय 12–00 बजे दिन व स्थान खर्रा नाला की पुलिया कस्बा किशनी अन्तर्गत क्षेत्र थाना किशनी जिला मैनपुरी पर आपने अपने दो अन्य साथी के साथ मिलकर जब वादी मुकदमा राजाराम अपने साथी आशाराम के साथ बैंक से एक लाख रुपये निकाल कर मोटर साइकिल से किशनी जा रहा था को ओवर टेक करके उसे मोटर साइकिल से गिरा दिया व तमंचे से गोली मार कर उससे एक लाख रुपये लूट लिये। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा394 के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा राजाराम को जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मार कर चोटें पहुंचाई यदि आपके उक्त कृत्य से वादी मुकदमा या उसके साथी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 307 के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय–यह कि दिनांक 11–7–2006 को समय 5–30 बजे सुबह व स्थान उसराहार तिराहे से करीब 50 कदम की दूरी पर जब पुलिस द्वारा अभियुक्त आशू पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से वादी मुकदमा राजाराम से लूटे गये रुपयों में से 5000 रुपये बरामद हुए। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा411 के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः–05–08–2022

(चम्पत सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष

न्यायाधीश ''द०प्र०क्षे०'' मैनपुरी

आरोप उपरोक्त अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया , जिससे उन्होंने इंकार किया तथा न्यायालय से विचारण की माँग की।

दिनांकः–05–08–2022

(चम्पत सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष

न्यायाधीश ''द०प्र०क्षे०'' मैनपुरी

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ''द०प्र०क्षे०'' मैनपुरी

विशेष परीक्षण सं० 76/2006

राज्य बनाम आशू पाण्डेय आदि

आरोप

मैं चम्पत सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ''द०प्र०क्षे०'' मैनपुरी आप विवेक तिवारी को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूॅ–

प्रथम– यह कि दिनांक 26–5–2006 को समय 12–00 बजे दिन व स्थान खर्रा नाला की पुलिया कस्बा किशनी अन्तर्गत क्षेत्र थाना किशनी जिला मैनपुरी पर आपने अपने दो अन्य साथी के साथ मिलकर जब वादी मुकदमा राजाराम अपने साथी आशाराम के साथ बैंक से एक लाख रुपये निकाल कर मोटर साइकिल से किशनी जा रहा था को ओवर टेक करके उसे मोटर साइकिल से गिरा दिया व तमंचे से गोली मार कर उससे एक लाख रुपये लूट लिये। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा394 के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा राजाराम को जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मार कर चोटें पहुंचाई यदि आपके उक्त कृत्य से वादी मुकदमा या उसके साथी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 307 के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः–05–08–2022

(चम्पत सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष

न्यायाधीश ''द०प्र०क्षे०'' मैनपुरी

आरोप उपरोक्त अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया , जिससे उन्होंने इंकार किया तथा न्यायालय से विचारण की माँग की।

दिनांकः–05–08–2022

(चम्पत सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष

न्यायाधीश ''द०प्र०क्षे०'' मैनपुरी

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ''द०प्र०क्षे०'' मैनपुरी

विशेष परीक्षण सं० 76/2006

राज्य बनाम आशू पाण्डेय आदि

आदेश

पुकारा गया। अभियुक्त आशू पाण्डेय व विवेक तिवारी व अमित ठाकुर न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त अमित ठाकुर उपस्थित आया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त अमित ठाकुर की ओर से प्रार्थना पत्र 22 अ इस आशय का दिया गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त प्रकरण में किशोर न्याय बोर्ड आगरा द्वारा किशोर घोषित किया जा चुका है। अतः उसकी पत्रावली पृथक कर अभियुक्त की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेजने की कृपा करें। चूँकि पत्रावली में संलग्न का०सं० 24 अ के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड आगरा द्वारा अभियुक्त अमित ठाकुर को किशोर अपचारी घोषित किया जा चुका है। अतः उसकी पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड मैनपुरी भेजी जाये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भी न्यायालय में उपस्थित हैं। आरोप पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अभियोजन कथानक व पुलिस प्रपत्रों के बारे में विस्तार से बताया। मेरी राय में अभियुक्त आशू पाण्डेय के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 394,307,411 भा०दं०सं० का आरोप व अभियुक्त विवेक तिवारी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 394,307 IPC का लगाये जाने का पर्याप्त एवं समुचित आधार है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार आरोप विरचित किया जाये। न्यायालय द्वारा अभियुक्त आशू पाण्डेय के विरुद्ध अन्तर्गत धारा394,307,411 IPC का आरोप व अभियुक्त विवेचक तिवारी के विरुद्ध धारा 394,307 IPC का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा न्यायालय से विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 25–8–2022 को पेश हो।

दिनांकः–05–08–2022

(चम्पत सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष

न्यायाधीश ''द०प्र०क्षे०'' मैनपुरी